(57)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र0क्र0 /2011 पुनरावलोकन Review-1885-PBR/2011

श्रीमती आराधना गौतम पत्नी अरूण गौतम
निवासी - मकान नं0 60, शान्ति निकेतन
गोविन्दपुरा, भोपाल ------- आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेवलपमेन्ट
कार्पोरेशन, पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय
नगर, भोपाल --------- अनावेदक

श्री एम. के. वाजपेयी अभि0
द्वारा आज दि. 14-12-11 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 656-पीबीआर/2009 पुनरीक्षण में दिनांक 21-9-2010 को श्री दिलीप मेहरा अध्यक्ष व्दारा पारित आदेश के पुनरावलोकन हेतु आवेदन अन्तर्गत धारा-51 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1885–पीबीआर/2011 [आराधना/शासन] जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.3.2017	आवेदिका अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । विचारोपरांत यह रिव्यु ग्राह्य किया जाता है। तर्को के दौरान आवेदक अभिभाषक ने अवगत कराया कि उनकी निगरानी की मूल विषयवस्तु रास्ता उपलब्ध कराने के संबंध में है । उन्होंने यह भी अवगत कराया कि जो रास्ता उन्होंने मांगा था वही रास्ता एवं अन्य पक्षकार ने भी मांगा था। जिस पर प्रकरण माननीय उच्च न्याालय गया था, जहॉ से निर्देश प्राप्त होने के बाद कलेक्टर ने उक्त रास्ता उपलब्ध करा दिया है । आवेदक अभिभाषक द्वारा बताई गई उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में ~~प्रश्न~~ इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–9–2016 निरस्त किया जाकर मूल निगरानी प्रकरण इस निर्देश के साथ निराकृत किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अन्य प्रकरण में कलेक्टर द्वारा उपलब्ध कराये गये रास्ते की सुविधा आवेदक को भी उपलब्ध कराई जावे । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	